न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार (आर. ए. एस.)

अपील संख्या : 2021/69

श्रीलाल आत्मज श्री चतरा जी उर्फ चतुर्भुज जाति धाकड़ निवासी सीतापुरा तहसील एवं जिला बून्दी।

—अपीलान्ट

बनाम

1. रामलाल आत्मज श्री चतरा उर्फ चतुर्भुज जाति धाकड़ निवासी सीतापुरा तहसील एवं जिला बून्दी।
2. लटूर आत्मज श्री चतरा उर्फ चतुर्भुज जाति धाकड़ निवासी सीतापुरा तहसील एवं जिला बून्दी।
3. श्रीमती बसन्तीबाई पुत्री चतरा पत्नि पन्नालाल जाति धाकड़ निवासी कैथूदा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब तालेड़ा जिला बून्दी।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री रमेश जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री लीलाधर सिंह, अभिभाषक, रेस्पोन्डेन्ट कम 02 की ओर से।
3. श्री विनय सक्सेना, अभिभाषक, रेस्पोन्डेन्ट कम 01 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 29.09.2023

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक जिलाधीश कोर्ट नंबर 2, बून्दी के प्रकरण संख्या 106/ACM-II/76 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.04.1977 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पो0 01 द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रार्थना बाबत् अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि वादी रेस्पो0 01 व प्रतिवादीगण के पूर्वजों का कृषि भूमि खसरा संख्या 205 रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा, खसरा सं0 430 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा, खसरा सं0 432 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा, खसरा सं0 434 रकबा 04 बिस्वा, खसरा सं0 435 रकबा 02 बीघा, खसरा सं0 463 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, खसरा सं0 464 रकबा 09 बिस्वा, खसरा सं0 590 रकबा 03 बिस्वा, खसरा सं0 787 रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 58 बीघा 10 बिस्वा ग्राम सीतापुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी में स्थित है। वाद पत्र की चरण सं0 01 में वर्णित आराजी में वादी व प्रतिवादीगण का

बराबर–बराबर हिस्सा है और वादी काश्त करता चला आ रहा है। वादी व प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से रहना पारिवारिक कलह के कारण दूभर हो गया है और इस कारण संयुक्त रूप से काश्त करने की स्थिति नहीं रही है। वादी ने प्रतिवादीगण को वाद पत्र की चरण सं0 01 में वर्णित कृषि भूमि का बंटवारा करने को कहा तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया। इसलिए वाद कारण दिनांक 30.07.1975 प्रतिवादीगण के मना करने पर पैदा हुआ। अंत में वाद पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र की चरण सं0 01 में वर्णित आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बराबर बंटवारा किये जाने का निवेदन किया।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.04.1977 को वादी रेस्पो0 01 का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि के विभाजन किया जाकर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.04.1977 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा में अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.04.1977 में जारी निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.04.1977 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 25.04.1977 की अपीलांट प्रार्थी को कोई जानकारी नही थी। अपीलांट उक्त दावे में उपस्थित भी नही हुआ। अपीलांट प्रार्थी अनपढ व्यक्ति है अगर कोई अंगुठा कराकर कागज पेश भी कर दिये हो तो अपीलांट उससे पाबंद नही है। उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी अपीलांट को दिनांक 10.02.2021 को हुई। जब प्रतिवादी के वकील ने एक अन्य पत्रावली में उक्त निर्णय की फोटो कोपी अपीलांट को दी जिससे सम्पूर्ण तथ्यो की जानकारी दिनांक 10.02.2021 को अपीलांट को हुई है। इस पर दिनांक 05.03.2021 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। नकल दिनांक 09.03.2021 को प्राप्त हुई है। जानकारी दिनांक 10.02.2021 से अपील अन्दर अवधि पेश है। उपरोक्त स्थिति में दिनांक 25.04.1977 से 10.02.2021 तक की देरी को क्षमा किया जाकर अपील का गुणावगुण पर निर्णय करने का कष्ट करे। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने

उपरोक्त तथ्यों पर गौर कर प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाते हुए दिनांक 25.04.1977 से दिनांक 10.02.2021 की देरी को क्षमा करते हुए अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाने का निवेदन किया।

7. अपील के विचाराधीन रहते हुए विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि अपीलांट ने उक्त अपील सहायक जिलाधीश कोर्ट नम्बर 2 बून्दी के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.04.1977 दावा बउनवान रामलाल बनाम चतरा वगै0 मिसल नम्बर 106/76 दावा बंटवारा कृषि भूमि के बाबत माननीय न्यायालय में पेश की है एवं अपील में यह वर्णित किया है कि अपीलांट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं है तथा अपीलांट को उक्त दावे की कोई सूचना भी नहीं थी एवं सम्मन भी नहीं मिले थे। जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलांट श्रीलाल सहायक जिलाधीश कोर्ट नम्बर 2 बून्दी के निर्णय व डिक्री व वाद में प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में पक्षकार रहे है एवं उनको सम्मन भी तामील हुआ है एवं वे जर्ये अभिभाषक सुदर्शन जी के दिनांक 08.10.1975 को न्यायालय में उपस्थित हुये एवं अपीलांट की जानकारी में उनकी सहमति से उक्त निर्णय एंव डिक्री दिनांक 25.04.1977 पारित किया गया जिसकी शुरू से आज तक अपीलांट श्रीलाल को जानकारी रही है। इस बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 2 इस प्रार्थना–पत्र के साथ उक्त वाद–पत्र की ऑर्डरशीट, निर्णय दिनांक 25.04.1977 की प्रति, डिक्री दिनांक 27.04.1977 की प्रति, अभिभाषक पत्र की प्रति , उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत अपीलांट के वादपत्र सन् 2018 की प्रति इस प्रार्थना–पत्र के माध्यम से माननीय न्यायालय में पेश की जा रही है जिन्हे रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त दस्तावेज लोक दस्तावेज है जो उक्त अपील के निर्णय में बहुत महत्वपूर्ण व सहायक दस्तावेज है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. स्वीकार फरमाया जाकर उक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिये जाने की कृपा करें। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. का जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि अन्तिम डिक्री जारी करने से पूर्व अपीलांट को नहीं बुलाया गया। सुनवाई नहीं की गई। अपीलांट को कोई जमीन नहीं दी इस कारण उक्त निर्णय निरस्तनीय है। उक्त दस्तावेज मुकदमें के निर्णय में सहायक नहीं है, जिन्हे रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायोचित नहीं है। दस्तावेज की नकल उपलब्ध नहीं कराई है। अन्त में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. खारिज किये जाने का निवेदन किया। हमने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. व इसके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का4 प्रकरण से सुसंगत होना तथा अपील के निर्णय में सहायक सिद्ध होना प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

8. अपील के विचाराधीन रहते हुए विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य भारी विवाद होने से गावं के व्यक्तियों ने पक्षकारों के मध्य राजीनामा कराया था तथा जो पक्ष जहां काबिज है उसे वह जमीन देने का उल्लेख किया था यह राजीनामा दिनांक 07.06.2021 को तालेड़ा न्यायालय में लिखा गया था। उक्त राजीनामा प्रस्तुत अपील में पेश किया जाना न्यायोचित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 क विद्वान अधिवक्तागण की ओर से अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. का कोई खण्डन नहीं किया गया। न्यायहित में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनों को दोहराया और निवेदन करते हुए कहा कि अधिनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25–04–1977 कानून व तथ्यो के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। रेस्पोडेंट रामलाल ने उक्त दावा पैतृक सम्पत्ति के आधार पर बंटवारे का किया था। इस बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नही थे। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेंट 3 को उक्त दावे मे पक्षकार नही बनाया इस कारण निर्णय निरस्तनीय है। उक्त दावे की कोई सूचना अपीलांट को नही थी, कोई सम्मन भी नही मिले। अपीलांट श्रीलाल अनपढ व्यक्ति है अगर कोई खाली कागज पर दस्तखत कराकर पेश भी कर दिये हो तो अपीलांट को जानकारी नही है। इस प्रकार उक्त दावे की जानकारी नही थी इस कारण भी निर्णय निरस्तनीय है। अपीलांट आपसी पारिवारिक समझौते द्वारा भूमि खसरा नम्बर 787 रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा मे से 11 बीघा भूमि अल्फानगर की तरफ की, पर काबिज चला आ रहा है। वर्तमान में भी अपीलांट व उसके पुत्रगण काबिज चले आ रहे हैं। इस भूमि के नये खसरा नम्बर 1176/787 रकबा 11 बीघा बने हैं। इस पर गौर नही कर निर्णय देने मे भूल की है। उक्त निर्णय द्वारा अपीलांट को कोई भूमि नही दी गई इस कारण उक्त निर्णय कानून विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। बंटवारे के दावे मे प्रथम प्राथमिक डिक्री पारित होना चाहिए थी। इसके पश्चात रेवेन्यू रूल के अनुसार मौके पर जाकर बंटवारा किया जाकर पक्षकारो को सुनकर पक्षकारो के समक्ष बंटवारा किया जाना चाहिये था। किन्तु बिना किसी कारणवश उक्त कब्जे बाबत जांच किए बिना अंतिम डिक्री कर दी गई जो कानून विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अंतिम डिक्री करने के पूर्व पक्षकारो को बुलाया जाना चाहिये था उनको सुना जाना चाहिये था एवं उनकी उपस्थिति मे मौके पर जाकर बंटवारा रिपोर्ट पक्षकारों की उपस्थिति मे तैयार की जानी चाहिये था। किन्तु प्रकरण में उपरोक्त कार्य किए बिना अंतिम डिक्री दे दी गई जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उक्त अंतिम डिक्री द्वारा अपीलांट के कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 787 रकबा 21 बीघा 11 विस्वा मे से 11 बीघा अल्फानगर की तरफ की भूमि रेस्पोडेंट रामलाल को दे दी गई। जबकि अपीलांट ने अपने कब्जे की उक्त भूमि में लाखों रूपये खर्च कर उसे समतल व उन्नत किया है। तीस वर्ष पूर्व उसने बोरिंग लगाया है तथा भूमि उपजाऊ बनाई है। भूमि पर रास्ता नही होने से पडौसी काश्तकार को पैसा देकर रास्ता लिया था एवं पड़ौसी भंवरलाल से सीमा विवाद हो गया था उसका भी निपटारा अपीलांट ने किया जिसमे लाखो

रूपये अपीलांट के खर्च हुए। इन तथ्यो पर गौर नही कर व सुनवाई का अवसर नही देकर उक्त भूमि रेस्पोडेंट को देने में अधिनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। चतरा जी ने अपने जीवनकाल में भूमि खसरा नम्बर 205 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा खसरा नम्बर 403 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि स्थित ग्राम सीतापुरा को अपीलांट्स को बेचान कर दी थी जिसको अपीलांट आधौली से काश्त कराता है शेष भूमि ही बंटवारा योग्य थी। इस बिन्दु पर गौर नही कर निर्णय देने में भूल की है। चतरा जी का देहान्त हो गया है। उनके पुत्र अपीलांट व रेस्पोडेंट 1 व 2 है तथा 3 चतरा जी की पुत्री है। प्रार्थी अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 05 अवधि अधिनियम में अंकित किया है प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 25.04.1977 के संदर्भ में अपीलांट को जानकारी नहीं थी। प्रार्थी अनपढ़ व्यक्ति है। उक्त निर्णय दिनांक 25.04.1977 की जानकारी प्रार्थी अपीलांट को सर्वप्रथम दिनांक 10.02.2021 को हुई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी अपीलांट ग्रामीण पृष्ठभूमि का व्यक्ति है तथा उसे निर्णय दिनांक 25.04.1977 की जानकारी नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय ने चतरा की पत्नि को पक्षकार नहीं बनाया जो कि आवश्यक पक्षकार थी। अतः पूर्व हस्तगत वाद प्रारंभ में ही शून्य था तथा पोषणीय नही था। यदि प्रतिवादी अपीलांट को Exparty किया तो भी अधीनस्थ न्यायालय को प्राथमिक डिक्री जारी करनी चाहिए थी तथा प्राथमिक डिक्री के पश्चात् नियमानुसार अंतिम डिक्री जारी होती। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना आवश्यक है। इस प्रकार यह निर्णय कानून की नजर से प्रारंभ से शून्य है। इस प्रकार ऐसे नियम विरूद्ध निर्णय पर लिमिटेशन का प्रावधान लागू नहीं होता। इस प्रकार के अवैध आदेश की कोई मियाद नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अंतिम डिक्री में अपीलांट को कोई भूमि नहीं दी गई। जो भूमि चतरा जी ने मुझे विक्रय की वह कैसे बंटवारे में शामिल होगी? इस प्रकार प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किया जाए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अंतिम डिक्री कानूनी प्रावधानों के विरूद्ध है। यहॉ एक अन्य विसंगति भी है जो भूमि उनके खाते में है वह मेरे कब्जे में है। अतः मौके पर तथा रिकार्ड में विसंगति है। अंत में अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत एएआर 184 एस सी पेज 1234–1239, 2022 (2) पीएमजे एस सी पेज 756–757, आर आर डी अक्टूबर 2005 पेज 626–629, आर आर डी जुलाई 2005 पेज 398–401, आर आर टी 2021(2) पेज 1318–1323, आर आर डी 14.07.2016 पेज 50–57, आर आर टी 2023(1) पेज 584–589 पेश कर अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.04.1977 खारिज फरमाने के लिए निवेदन किया।

10. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट कम 01 ने जवाब प्रार्थना पत्र धारा 05 अवधि अधिनियम पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित समस्त तथ्य मिथ्या, आधारहीन, बनावटी एवं मनगढ़न्त होने से स्वीकार नहीं, अस्वीकार है। दिनांक 25.04.1977 को पारित निर्णय एवं डिक्री की अपीलान्ट को प्रारम्भ से ही जानकारी है। अपीलान्ट प्रार्थी श्रीलाल की ओर से दिनांक 06.10. 1975 को अपना वकालतनामा पेश किया है तथा 23. 10.1975 को अपना जवाब प्रस्तुत किया है, जिस पर श्रीलाल के हस्ताक्षर है। अपीलान्ट

का यह कथन कि दिनांक 10.02.2021 को उक्त निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई है एकदम असत्य है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 स्वीकार नहीं, अस्वीकार है। अपीलान्ट को शुरू से ही उक्त निर्णय एवं डिक्री की जानकारी है, इस कारण वह देरी को क्षमा कराने का अधिकारी नहीं है। उक्त अपील में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट कम 02 ने जवाब प्रार्थना पत्र धारा 05 अवधि अधिनियम पेश कर कथन किया कि उक्त अपील अपीलान्ट ने निर्णय व डिक्री दिनांक 25.04.1977 के विरुद्ध लगभग 44 वर्ष वाद पेश की है जिसके सम्बंध में अपने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में कोई स्पष्ट व वाजिब कारण अंकित नही किये हैं जबकि अपीलान्ट को अन्य राजस्व कार्यवाहियों में उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी पूर्व से ही थी। फिर भी गलत तथ्य अंकित कर उक्त अपील पेश की हैं इस कारण अपीलान्ट को सुनने से पूर्व अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को अपील से पहले सुना जाकर निर्णित किया जाना आवश्यक हैं ताकि न्यायालय व पक्षकारों को बहुत महत्वपूर्ण समय जाया ना हो। अपीलांट को विलम्ब के प्रत्येक दिवस का कारण देना पड़ेगा। अपीलांट के कथन मिथ्या है। इनके अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा विलम्ब के समय पर प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उक्त अपील को मूल रूप से सुने जाने से पहले उक्त अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को पहले सुनाकर निर्णित किये जाने की कृपा करें। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित है। अपीलांटगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मिथ्या कथनों पर आधारित है, अतः खारिज योग्य है। अतः मियाद के बिन्दु पर ही अपील खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट ये बताए कि भूमि चतरा ने कब विक्रय की? इन्होने कोई बेचाननामा जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किया। क्या यह प्रश्नगत भूमि इन्हें बंटवारे के बाद मिली या नहीं? वस्तुतः इन्हें भूमि मिली है। इन्होने स्वयं सन् 2018 में भूमि विनिमय का नोटिस दिया है। अपीलांट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा में वाद पेश कर रखा है जिसमें इन्होने पूर्व बंटवारे का कथन किया है। इस प्रकार अपीलांट के कथन असत्य है तथा ये स्वच्छ हाथों से न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए है। अपीलांटगण के मन में बेईमानी आ गई है। अतः अपील अपीलांट गंभीर रूप से अवधि बाधित है तथा झूठे कथनों पर आधारित होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता रेस्पो0 कम 01 ने न्यायिक दृष्टांत एआईआर 1960 एससी पेज 260–266, एआईआर 1972 राज. पेज 123–127 पेश करते हुए अपील अपीलांट खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.04.1977 खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

11. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित है। ये अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपीलांट तथा उनके अधिवक्ता को प्रारंभ से ही अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण की समुचित जानकारी थी। अपीलांट का कथन है कि डिक्री सही नहीं है तथा डिक्री का निर्माण निर्णय अनुसार नहीं हुआ है। यदि डिक्री सही नहीं बनी तो ये नियमानुसार डिक्री सही करवाते परन्तु इसके लिए भी लिमिटेशन का प्रावधान है। ये डिक्री में संशोधन के लिए सी.पी.सी. की धारा 115 का उपयोग तत्समय कर सकते थे। अपील मीमों में तथा

बहस में कहे गए अपीलांट के कथन आधारहीन तथा मनगढ़न्त है। कोई भी व्यक्ति लगभग 50 साल बाद आकर झूठे कथन के आधार पर अपील प्रस्तुत नहीं कर सकता यदि इस प्रकार की अपील स्वीकार की जाती है तो मुकदमों का कोई अंत नहीं होगा। इस तरह की अपील लिमिटेशन के बिन्दु पर भी खारिज योग्य है। अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा में भी वाद प्रस्तुत कर रखा है तथा यहां लिमिटेशन पर मिथ्या कथन अंकित किए है। अंत में अपील अपीलांट मियांद के बिन्दु पर खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.04.1977 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

12. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा दौराने बहस अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में वाद दिनांक 05.08.1975 को संस्थित हुआ। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 08.10.1975 से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सुदर्शन जी का वकालतनामा पेश हुआ। आदेशिका दिनांक 23.10.1975 से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03 की ओर से जवाब भी पेश हुआ। आदेशिका दिनांक 09.01.1976 से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न अपीलांट श्रीलाल सहित प्रतिवादीगण का जवाब दावा संलग्न है, इस जवाबदावे में प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03 ने अंकित किया है, "प्रार्थना वादी स्वीकार है। दावा डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।" इस जवाब दावे में प्रतिवादी अपीलांट श्रीलाल को भी कोई आपत्ति नहीं है। इस जवाब दावे में प्रतिवादी अपीलांट श्रीलाल के भी हस्ताक्षर अंकित है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपीलांट वादी द्वारा न्यायालय एस. डी. ओ. तालेड़ा जिला बून्दी में प्रस्तुत वाद की फोटो प्रति प्रस्तुत की है। इस वाद में वादी अपीलांट है तथा यह वाद न्यायालय में दिनांक 11.07.2018 को प्रस्तुत किया। इसमें वादी अपीलांट ने एसीएम बून्दी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.04.1977 के बारे में कथन किया हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपीलांट प्रार्थी को प्रारंभ से ही प्रश्नगत वाद की समुचित जानकारी थी। अपीलांट प्रार्थी का यह कथन विश्वसनीय नहीं है कि उन्हें सर्वप्रथम दिनांक 10.02.2021 को प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 25.04.1977 की जानकारी हुई। अधिवक्ता अपीलांट ने प्रश्नगत वाद तथा निर्णय व डिक्री दिनांक 25.04.1977 को प्रारंभ से शून्य बताते हुए अवैध होने का कथन किया है। परंतु हमारे मत में स्वयं अपीलांट प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय नहीं है तथा स्पष्टतः मनगढंत प्रतीत होते हैं। प्रश्नगन निर्णय व डिक्री दिनांक 25.04.1977 के विरूद्ध अपीलांट ने अपील दिनांक 01.04.2021 को पेश की है। इस प्रकार 43 वर्ष 11 माह 07 दिन के पश्चात् हस्तगत अपील पेश की है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी में अपील प्रस्तुत करने की समयावधि 60 दिवस निर्धारित है। जबकि अपीलांट ने अपील लगभग 16048 दिवस पश्चात् पेश की है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांट को प्रारंभ से ही प्रश्नगत वाद तथा निर्णय व डिक्री दिनांक 25.04.1977 की जानकारी थी। लगभग 44 वर्ष के विलम्ब का कोई पर्याप्त व संतोषजनक कारण बताने में प्रार्थी अपीलांट असफल रहे है। लगभग 16048 दिवस के बहुत लंबे विलम्ब को क्षमा करने से मुकदमेबाजी का अंत ही

नहीं होगा। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम विश्वसनीय कथनों पर आधारित नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है। अपील अपीलांट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज किये जाने योग्य है। चूंकि अपील अपीलांट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज की जाती है तो इस पर आगे और गुणावगुण पर विवेचन की आवश्यकता नहीं है।

13. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय व डिक्री दिनांक 25.04.1977 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो व नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

14. निर्णय आज दिनांक 29.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2021/69

श्रीलाल आत्मज श्री चतरा जी उर्फ चतुर्भुज जाति धाकड़ निवासी सीतापुरा तहसील एवं जिला बून्दी।

——अपीलान्ट

बनाम

1. रामलाल आत्मज श्री चतरा उर्फ चतुर्भुज जाति धाकड़ निवासी सीतापुरा तहसील एवं जिला बून्दी।
2. लटूर आत्मज श्री चतरा उर्फ चतुर्भुज जाति धाकड़ निवासी सीतापुरा तहसील एवं जिला बून्दी।
3. श्रीमती बसन्तीबाई पुत्री चतरा पत्नि पन्नालाल जाति धाकड़ निवासी कैथूदा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब तालेड़ा जिला बून्दी।

——रेस्पोडेन्ट

प्रार्थना पत्र संख्या: 106/ACM-II/76

रामलाल आत्मज चतरा जाति धाकड़ निवासी सीतापुरा तहसील बून्दी।

– वादी

बनाम

1. चतरा आत्मज गिरधारी जाति धाकड़ निवासी सीतापुरा।
2. श्रीलाल आत्मज चतरा जाति धाकड़ निवासी सीतापुरा।
3. लटूर आत्मज चतरा जाति धाकड़ निवासी सीतापुरा।
4. सरकार जर्ये तहसीलदार साहब बून्दी।

–प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त प्रार्थना पत्र संख्या 106/ACM-II/76 में न्यायालय सहायक जिलाधीश कोर्ट नंबर 2, जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.04.1977 की अपील न्यायालय**

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 29.09.2023 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री रमेश जैन, रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से श्री विनय सक्सेना, रेस्पोडेन्ट कम 02 की ओर से श्री लीलाधर सिंह के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक जिलाधीश कोर्ट नंबर 2, जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.04.1977 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

4. यह डिक्री आज तारीख 29.09.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा